"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 493] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 3 सितम्बर 2026 — भाद्र 12, शक 1948

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 सितम्बर 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE-503/37/2026-FOOD.—विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2009 का सं. 1) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, भारत सरकार के परामर्श उपरांत, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (4) के द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:-

संशोधन

उपयोगकर्ता को सुधार करने के पश्चात् वापस करने से पूर्व नियम 15 के उप-नियम (1) या (8) के अधीन पुन: सत्यापन और पुन: मुद्रांकन किये जाने के लिए प्रस्तुत करेगा।"

12. अनुसूची-तीन का लोप किया जाए।

13. अनुसूची-चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"अनुसूची-चार

(नियम 11(3) देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन

कार्यालय नियंत्रक ,विधिक मापविज्ञान

बांट एवं माप के विनिर्माता, सुधारक अथवा विक्रेता हेतु पंजीयन शुल्क

स.क्र.	श्रेणी	पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु शुल्क (रूपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	विनिर्माता	₹50,000
2.	सुधारक	
	(क) राज्य स्तर	₹20,000
	(ख) संभाग स्तर	₹ 20,000
	(ग) जिला स्तर	₹ 20,000
3.	विक्रेता	₹ 10,000

पंजीयन प्रमाणपत्र में संशोधन अथवा अतिरिक्त प्रविष्टि हेतु शुल्क

स.क्र.	श्रेणी	पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु शुल्क (रूपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	विनिर्माता	₹ 1,000
2.	सुधारक	
	(क) राज्य स्तर	₹ 1,000
	(ख) संभाग स्तर	₹ 1,000
	(ग) जिला स्तर	₹1,000
3.	विक्रेता	₹ 1,000"